न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 68/2021

उनवान

हंगामी पत्नी रतन सिंह जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
बाबरिया नि. ग्राम चांदसेन, नसीराबाद
--- वादी :– जरिये अधिवक्ता श्री रमेश सिंह रावत

बनाम

1. चन्द्र सिंह पुत्र सुवा सिंह,
2. सुवा सिंह पुत्र भोम सिंह, जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

प्रतिवादीगण :–1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
3 जरिये तहसीलदार नसीराबाद, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 रा0 का0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 24.6.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1787 रकबा 0.18 की आराजी वादी द्वारा दिनांक 25.02.1997 को क्रय की थी। क्रय करने के बाद चारदीवारी बनाते समय विवादित सथल पर बडे–बडे पेड होने के कारण कुछ हिस्से को छोडकर वादी द्वारा चारदीवारी बनायी गयी। जिसका फायदा उठाते हुये वादीकी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1787 के पडौसी खसरा नम्बर 1789 व 3622/1788 के खातेदार/पूर्व खातेदार ने वादी की 10–15 फिट पर कब्जा कर लिया है। पटवारी हल्क की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.7.20 में कब्जा पाये जाने पर वादी की भूमि से काटें व पत्थरो को हटा दिया गया व वादी व परिवारजन पर जानलेवा हमला कर दिया जिसकी रिपोर्ट सदर थाना नसीराबाद सदर में वादी द्वारा दिनांक 25.06.20 को की गयी। वादी की खातेदारी आराजी के सीमाज्ञान रिपोर्ट में वादी की भूमि पर कब्जा प्रमाणित माना गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आराजी मुतनाजा पर किये गये दोषपूर्ण कब्जे से बेदखल करने के आदेश पारित किये जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1787 वादी के नाम खातेदारी है। हाल खसरा नम्बर 1789 रकबा 0.10 व 3622/1788 रकबा 0.1550 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की है। वादी व प्रतिवादी की खातेदारी ाूमि के मध्य पक्की दीवार स्वयं वादी द्वारा 1997 में निर्मित की गयी। जवाब कुनिन्दा ने उक्त आराजी दिनांक 13.08.20 को क्रय की है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के होने व आपस में रजिंश रखने के कारण गलत तथ्यों पर वाद पेश किया गया है। प्रतिवादीगण के नाम दर्ज आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। जवाबकर्ता का वादी की आराजी पर कोई कब्जा नही है। अतः वाद सव्यय खारिज किय जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण ने गैर कानूनी रूप से अतिचार किया है, अतः वादी बेदखली का अधिकारी है ?

— वादी

2. आया आराजी मुतननाजा पर पूर्व में दीवार निर्मित होने व वाद झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत करने के कारण वाद खारिज योग्य है ?

— प्रतिवादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विक्रय पत्र पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी जवाब के समर्थन में राजस्व अभिलेखत्र विक्रय पत्र पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 व 2 :-

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार हाल खसरा नमबर 1787 रकबा 0.10 वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र के अनुसार उक्त आराजी वादी ने तत्कालीन खातेदार से दिनांक 25.02.1997 को कय की थी। खसरा नम्बर 3622/1788 रकबा 0.155 व खसरा नम्बर 1789 रकबा 0.10 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार से दिनांक 13.08.20 को कय की है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी आस-पास स्थित है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उसकी खातेदारी आराजी के कुछ हिस्से पर अतिकमण कर लिया है जबकि प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी व प्रतिवादी की खातेदारी आराजी पर 1997 से ही दीवार निर्मित है जो कि वादी स्वयं द्वारा बनायी गयी है। वाद ने उक्त वाद मुख्यतः प्रतिवादी को बेदखल कने के लिये पेश किया हैं उभयपक्ष में खातेदारी अधिकार को लेकर कोई विवाद नही है। वाद व जवाब के समर्थन में उभयपक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया है। वादी द्वारा दिनांक 12.07.20 का मोका पर्चा पेश किया है। उक्त मौका पर्चा में हल्का पटवारी भवानीखेडा ने माना है कि खसरा नम्बर 3622/1788 के दक्षिण दिश की तरफ 4 फिट व उत्तर दिशा की ओर 10 फिट पर हंगामी के खसरा नम्बर 1787 में लक्ष्मण पि. लादू ने ज्यादा रकबे पर कब्जा किया हुआ है। खसरा नम्बर 1789 के दक्षिण में उगमी पत्नी मांगीलाल ने 10 फिट चौडी जगह व उत्तर दिशा में 16 फिट रकबे से ज्यादा रकबे पर कब्जा किया हुआ है। उक्त मौका पर्चा के साथ अतिकमित रकबा नजरी नक्शा से दर्शाया है। प्रतिवादी का कथन हे कि वादी व प्रतिवादी के खेत के मध्य दिवार का निर्माण 1997 से ही है जिसे वादी ने स्वयं निर्मित किया है। किन्तु इसके समर्थन में प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। जिस कारण यह स्पष्ट नही होता हे कि दिवार का निर्माण कब हुआ, जबकि वादी द्वारा मौका पर्चा पेश किया है जिसमें तत्कालीन खातेदार द्वारा ही वादी की भूमि पर अतिकमण करना सिद्व होता है। प्रतिवादी का अतिकमित आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवाद ने अपने जवाब के कथनों को अभिलखिय साक्ष्य व दस्तावेज से सिद्व नही किया है। जबकि मोका पर्चा अनुसार प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा के आंशिक भाग पर अतिकमी सिद्व होते है। वादी

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हंगामी बनाम चन्द्र सिंह

दावा बाबत :– 183, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 68/2021
पेश करने की दिनांक – 07.07.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुद्दई अभिभाषक सीताराम रावत मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1787 रकबा 0.18 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बेदखली का अधिकारी है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये अतिकमित रकबे से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाने की कार्यवाही करावे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत् दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24 माह 6 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिकी व मुकदमें इब्राई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हंगामी बनाम चन्द्र सिंह

दावा बाबत :– 183, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 68 / 2021
पेश करने की दिनांक – 07.07.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुद्दई अभिभाषक सीताराम रावत मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1787 रकबा 0.18 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बेदखली का अधिकारी है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये अतिकमित रकबे से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाने की कार्यवाही करावे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअरवत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24 माह 6 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बावत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद